Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का अधिशासी अभियंता 1 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 जून, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जयप्रकाश गुप्ता अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा, जिला बाड़मेर को परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जल जीवन मिशन योजना के तहत करवाये गये कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में कुल भुगतान राशि के 2.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में जयप्रकाश गुप्ता अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा, जिला बाड़मेर द्वारा **3 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी बाड़मेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री नंद कुमार गुप्ता निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा, जिला बाड़मेर हाल अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा, जिला बाड़मेर को परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा परिवादी से शिकायत के सत्यापन दौरान ही 2 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।